

आयुक्त, परिवहन-सह-अध्यक्ष और अन्य

बनाम

तपन कुमार बिस्वास

26 अगस्त 2004

[एस.एन. वरियावा और जी.पी. माथुर, जे.जे.]

उड़ीसा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1975:

धारा 3 और 10 जेओ-ऑफ-रोड सूचना के अभाव में कर की देनदारी- सी परिवहन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया - फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया - एफएफ-रोड सूचना एक वर्ष के लिए दी गई-ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई बाद की अवधि - कर की मांग उठाई गई - आयोजित, सूचना और एस के तहत आवश्यक उपक्रम। साल-दर-साल 10 देने होंगे- चूंकि बाद की अवधि के लिए कोई सूचना या वचन नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें है यह माना जाएगा कि वाहन का उपयोग राज्य में किया गया था या उपयोग के लिए रखा गया था।

एक दुर्घटना में प्रतिवादी का वाहन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। नतीजतन, जनवरी में वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया जनवरी 1991 से दिसम्बर 1991 तक, लेकिन ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की 1991. प्रतिवादी ने इस अवधि के लिए ऑफ-रोड सूचना दी उसके बाद. कर निर्धारण अधिकारी ने इस अवधि के लिए कर की मांग की जनवरी 1992 से दिसंबर 1995 तक और उसके बाद के लिए भी अवधि. प्रतिवादी की अपील अपीलीय द्वारा खारिज कर दी गई अधिकार, इसलिए संशोधन भी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी रिट याचिका में कहा गया कि कर केवल वाहनों पर लगाया जा सकता है जो सड़कों पर उपयोग के लिए उपयुक्त थे; और वह उड़ीसा मोटर के अंतर्गत वाहन कराधान अधिनियम, 1975, जब तक किसी वाहन

के पास दोनों का प्रमाण पत्र न हो फिटनेस और पंजीकरण का एक वैध प्रमाण पत्र, वाहन नहीं हो सका माना जाता है कि इसे उपयोग के लिए रखा गया है। हाई कोर्ट ने मांग को सही ठहराया इसे टिकाऊ नहीं माना और नोटिसों को रद्द कर दिया। पीड़ित, ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने अपील दायर की.

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:

1.1 उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि केवल इसलिए कि फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि वाहन को राज्य में उपयोग के लिए नहीं रखा गया था। केवल इसलिए कि, कानूनी तौर पर, किसी वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र और/या पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना सड़क पर नहीं चलाया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि ऐसे सभी वाहन सड़क पर उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। [911 - जी; 912-डी-ई]

1.2 . अधिनियम के तहत वाहन मालिक को टैक्स देना होगा। इसीलिए उड़ीसा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1975 की धारा 10 में प्रावधान है कि जब भी किसी मोटर वाहन को किसी भी अवधि के लिए सड़क पर उपयोग नहीं करने का इरादा होता है, तो पंजीकृत मालिक या उस पर कब्ज़ा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को कर अधिकारी को देना होगा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एक सूचना और एक उपक्रम। यदि वाहन को एक वर्ष से अधिक समय तक सड़क पर उपयोग नहीं करने का इरादा है तो ऐसी सूचना और वचन-पत्र साल-दर-साल देना होगा। यदि धारा 10 के तहत आवश्यक कोई सूचना, वचन पत्र के साथ नहीं दी गई है, तो धारा 10 की उपधारा (3) के आधार पर, यह माना जाएगा कि वाहन का उपयोग किया गया था या राज्य के भीतर उपयोग के लिए रखा गया था। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि प्रारंभिक अवधि के दौरान आवश्यक सूचना और उपक्रम दायर किया गया था। लेकिन इसके बाद

की अवधि के लिए न तो अंडरटेकिंग दाखिल की गई और न ही सूचना दी गई। चूँकि कोई बाद का उपक्रम दायर नहीं किया गया था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि वाहन का उपयोग राज्य के भीतर उपयोग के लिए किया गया था या रखा गया था।

[911 - जी-एच; 912-ए-डी]

महाकौशल ट्रिस्ट, नेपियर टाउन और अन्य बनाम एमपी राज्य और अन्य, (2002) 7 धारा 245 और उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम श्री बिजया सी त्रिपाठी, (2004] 7 एससीसी 139, पर आधारित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 7033/2003

उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक के ओ.जे.सी. संख्या 4987/1998 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.01.2002 से।

एस.के. ढोलकिया एवम् आर. एस. जेना- अपीलार्थियों की ओर से।

सुभाष शर्मा- उत्तरदाता की ओर से

न्यायालय का निर्णय न्यायामूर्ति एस.एन.वरियावा द्वारा सुनाया गया।

यह अपील उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8 जनवरी, 2002 के खिलाफ है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :-

प्रतिवादी एक ट्रक नंबर WMK-7067 का मालिक है। इस ट्रक के संबंध में, पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया था और मोटर वाहन कर का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा था। उक्त वाहन 23 जनवरी 1991 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रतिवादी ने जनवरी 1991 से दिसंबर 1991 की अवधि के लिए आवश्यक ऑफ-रोड सूचना दी। हालाँकि, उसने जनवरी 1992 से दिसंबर 1995 की

अवधि के लिए कोई ऑफ-रोड सूचना प्रस्तुत नहीं की। चूंकि दुर्घटना गंभीर थी, 24 जनवरी 1991 को अपीलकर्ता द्वारा फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया था।

अपीलकर्ता के कर निर्धारण अधिकारी-सह-क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 10 जनवरी 1996 द्वारा प्रतिवादी से जनवरी 1992 से दिसंबर 1995 तक की अवधि के कर के रूप में 27,750/- रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए कहा। इस मांग के विरुद्ध अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की। 23 अगस्त 1996 के एक आदेश द्वारा, अपीलीय प्राधिकारी ने अपील खारिज कर दी। परिवहन आयुक्त के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण भी खारिज कर दिया गया।

कर निर्धारण अधिकारी ने बाद की अवधि के लिए और मांगें भी उठाईं। इस प्रकार प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। आक्षेपित निर्णय द्वारा रिट याचिका को स्वीकार किया गया। यह माना गया है कि मोटर वाहन पर कर केवल उन वाहनों पर लगाया जा सकता है जो उड़ीसा राज्य में रखे गए हैं और सड़कों पर उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। यह माना जाता है कि उड़ीसा मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब तक किसी वाहन के पास फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ-साथ पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र नहीं होता है, तब तक यह नहीं माना जा सकता है कि वाहन को उपयोग के लिए रखा गया है। यह माना जाता है कि मांग इस प्रकार कानून में अस्थिर थी और मांग के नोटिस रद्द कर दिए गए थे।

उभयपक्षों को सुना गया।

उड़ीसा मोटर वाहन कर अधिनियम, 1975 के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं: -

"3. कर का उद्ग्रहण (1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, राज्य के भीतर उपयोग किए जाने वाले या उपयोग के लिए रखे गए प्रत्येक मोटर वाहन पर अनुसूची-1 में निर्दिष्ट दर पर कर लगाया जाएगा;

(2) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा अनुसूची-1 में निर्दिष्ट कर की दर में वृद्धि कर सकती है: बशर्ते कि ऐसी वृद्धि अनुसूची-1 में निर्दिष्ट दर के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) इस अधिनियम में [अनुसूची-1] में किए गए सभी संदर्भों को इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में संशोधित समय के लिए अनुसूची-1 के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण एक मालिक जो एक परिवहन वाहन रखता है जिसके लिए फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र वैध हैं, या एक मालिक जो कोई अन्य मोटर वाहन रखता है, जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र वैध है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, ऐसे वाहन को उपयोग के लिए रखने का अनुमान:

बशर्ते कि यदि कर निर्धारण अधिकारी किसी मोटर वाहन को उस अवधि के दौरान किसी भी दिन इस्तेमाल करते हुए पाता है जिसके लिए मोटर वाहन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द कर दिया गया है तो ऐसे वाहन को पूरे समय उपयोग के लिए रखा हुआ माना जाएगा।

10. किसी वाहन के उपयोग को अस्थायी रूप से बंद करने की पूर्व सूचना (1) जब भी किसी मोटर वाहन का उपयोग किसी भी अवधि के लिए नहीं किया जाना है, तो पंजीकृत मालिक या उसका कब्ज़ा या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति अवधि की समाप्ति की तारीख को या उससे पहले जिसके लिए कर का भुगतान किया गया है, पूर्वोक्त अवधि और वह स्थान जहां मोटर वाहन रखा जाना है, को निर्धारित किए गए

अन्य विवरणों के साथ निर्दिष्ट करते हुए निर्धारित प्रपत्र और तरीके से विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित एक वचनपत्र कर निर्धारण अधिकारी को सौंपें। पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट और कर टोकन, फिर वर्तमान और समय-समय पर वितरित करके, आगे के उपक्रम संबंधित कर अधिकारी को उक्त अवधि के विस्तार, यदि कोई हो, और परिवर्तन, यदि कोई हो, की पूर्व सूचना देंगे। वह स्थान जहां मोटर वाहन रखा जाएगा:

बशर्ते कि ऐसा कोई भी उपक्रम एक समय में एक वर्ष से अधिक की अवधि से संबंधित नहीं होगा।

(2) यदि पूर्वोक्त उपक्रम द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान किसी भी समय मोटर वाहन का उपयोग किया जाता पाया जाता है या ऐसे किसी उपक्रम के उल्लंघन में किसी स्थान पर रखा जाता है, तो ऐसे वाहन को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए माना जाएगा। उक्त अवधि के दौरान कर के भुगतान के बिना उपयोग किया गया है।

(3) उप-धारा (1) के तहत दिए गए किसी भी वचन के अभाव में, इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी प्रत्येक मोटर वाहन को राज्य के भीतर उपयोग के लिए इस्तेमाल किया गया या रखा हुआ माना जाएगा।"

इस प्रकार, धारा 3 के तहत राज्य के भीतर उपयोग किए जाने वाले या उपयोग के लिए रखे गए प्रत्येक मोटर वाहन पर कर का भुगतान करना होगा। यदि किसी परिवहन वाहन के पास फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ-साथ पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र भी है तो उस वाहन को उपयोग के लिए रखा गया माना जाएगा। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जिस वाहन के पास फिटनेस प्रमाणपत्र और/या पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है, वह सड़क पर उपयोग करने में सक्षम नहीं है। केवल इसलिए कि,

कानूनी तौर पर, किसी वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र और/या पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना सड़क पर नहीं चलाया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि ऐसे सभी वाहन सड़क पर उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। एक्ट के तहत वाहन मालिक को टैक्स देना होगा। इसीलिए धारा 10 में प्रावधान है कि जब भी किसी मोटर वाहन को किसी भी अवधि के लिए सड़क पर उपयोग नहीं करने का इरादा हो, तो पंजीकृत मालिक या उसके कब्जे या नियंत्रण वाले व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र और तरीके से विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित एक वचन पत्र देना होगा और कर लगाने वाले प्राधिकारी को उस अवधि के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए जिस अवधि में वाहन का उपयोग नहीं किया जाना है और वह स्थान जहां मोटर वाहन रखा जाएगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट और टैक्स टोकन आदि सहित संबंधित दस्तावेज कर अधिकारी को सौंपे जाने हैं। धारा 10 द्वारा विचारित उपक्रम एक समय में केवल एक वर्ष की अवधि के लिए हो सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि वाहन को एक वर्ष से अधिक समय तक सड़क पर उपयोग नहीं करने का इरादा है तो ऐसी सूचना और वचन-पत्र साल-दर-साल देना होगा। यदि उपक्रम के साथ धारा 10 के तहत अपेक्षित कोई सूचना नहीं दी गई है, तो धारा 10 के प्रावधान (3) के आधार पर, यह माना जाएगा कि वाहन का उपयोग किया गया था या राज्य के भीतर उपयोग के लिए रखा गया था।

इस मामले में, माना जाता है कि प्रारंभिक अवधि के दौरान आवश्यक सूचना और उपक्रम दायर किया गया था। लेकिन इसके बाद की अवधि में न तो अंडरटेकिंग दाखिल की गई और न ही सूचना दी गई। प्रारंभिक अवधि के लिए दायर किया गया उपक्रम एक वर्ष की अवधि से अधिक प्रभावी नहीं होगा। चूँकि कोई बाद का उपक्रम दायर नहीं किया गया था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि वाहन का उपयोग राज्य के भीतर उपयोग के लिए किया गया था या रखा गया था। उच्च न्यायालय का यह

निष्कर्ष निकालना सही नहीं था कि केवल इसलिए कि फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि वाहन को राज्य में उपयोग के लिए नहीं रखा गया था।

हमारा दृष्टिकोण महाकोशल पर्यटक, नेपियर टाउन और अन्य में इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा समर्थित है। बनाम एमपी राज्य और अन्य। (2002) 7 एससीसी 245 में रिपोर्ट किया गया। इस मामले में, वाहन मध्य प्रदेश में पंजीकृत किया गया था लेकिन लंबे समय से राज्य से बाहर चल रहा था। उस वाहन पर मध्य प्रदेश राज्य द्वारा टैक्स की मांग की गई थी। यह दलील कि कर देय नहीं था क्योंकि वाहन का उपयोग राज्य में नहीं किया गया था, अस्वीकार कर दिया गया। यह माना गया कि वाहन का उपयोग न करना ही पर्याप्त नहीं था। इस न्यायालय ने माना कि कर देनदारी से बचने के लिए वाहन के उपयोग न करने के तथ्य को संबंधित प्राधिकारी को घोषित किया जाना चाहिए।

इसी तरह का दृष्टिकोण 26 फरवरी 2004 को सिविल अपील संख्या 3599/1998 में इस न्यायालय के एक असूचित फैसले में भी लिया गया है। इस मामले में, वाहन का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि स्टेज कैरिज परमिट नहीं दिया गया था। यह दलील कि स्टेज कैरिज परमिट के बिना, वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है और इसलिए, कर का भुगतान करने की कोई देनदारी नहीं है, स्वीकार नहीं किया गया। इस न्यायालय ने माना कि उड़ीसा मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 10 के तहत, किसी भी उपक्रम और सूचना के अभाव में यह माना जाएगा कि वाहन का उपयोग किया गया था या राज्य के भीतर उपयोग के लिए रखा गया था।

इस मामले को देखते हुए हाई कोर्ट के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता। इसे अलग रखा गया है। प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मुकेश त्यागी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।